झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) हजा०–04–03 / 2015 (पार्ट–11) ..... / राँची, दिनांक .....

आदेश

श्री निर्मल कुमार तिवारी, तदेन सहायक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं के पुनर्स्थापन कार्य में बरती गई अनियमितता के लिए पेंशन नियमावली के नियम– 139 के तहत् कार्रवाई करते हुए विभागीय आदेश पत्रांक– 6014 दिनांक– 02.12.2021 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया :–

(i) पेंशन से 5% की कटौती दो वर्षों तक।

2. श्री निर्मल कुमार तिवारी द्वारा उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध पुनर्विचार आवेदन दिया गया, जिसमें कहा गया है कि ढुलकी जलाशय एवं जुगरा वीयर योजना के पुर्नस्थापन कार्य अर्न्तगत बोल्डर पिचिंग (Rip Rap Pitching) में लेबर चार्ज के रूप में अतिरिक्त भुगतेय राशि रू० 4,29480.56 के अनियमित भुगतान की कटौती अंतिम विपत्र से कर ली गई है, जिसकी सूचना कार्यपालक अभियंता के द्वारा विभाग को दिया गया है। अतएव, इन्होंने वर्णित प्रतिवेदन पर पुनर्विचार करते हुए आरोप एवं दण्ड से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

3. उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त अनियमित / अधिकाई भुगतान में ये संलिप्त थे। उड़नदस्ता जाँच के बाद जब उक्त अनियमित / अधिकाई भुगतान प्रतिवेदिया किया गया तो मामले में कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संवेदक से वसूली की कार्रवाई की गई। अतः जाँच के बाद मामले में कार्रवाई करते हुए अधिकाई / अनियमित भुगतान की वसूली संवेदक से हो जाने मात्र से इन्हें दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है।

विदित हो कि उड़ानदस्ता जाँच प्रतिवेदन के आलोक में इनसे पूछे गये स्पष्टीकरण में इन्होंने उक्त अधिकाई / अनियमित भुगतान से संबंधित कार्य में अपनी संबद्धता से भी इन्कार किया था परन्तु विभाग द्वारा इन्हें संगत साक्ष्य दिये जाने के बाद इन्होंने भूल मानते हुए अपनी संबद्धता को स्वीकार किया, इनका आचरण सदाचार के प्रतिकूल भी रहा।

समीक्षोपरान्त पाया गया कि वस्तुतः ढुलकी जलाशय योजना के पुनर्स्थापन कार्य के अन्तर्गत Disturbed rip-rap से निकाले गये कुल बोल्डर का 40% ही पुनः रिप–रैप में उपयोग किया गया था तो मात्र इस 40% मात्रा के लिए ही लेबर चार्ज पर व्यय प्रावधानित था, परन्तु इनके कार्य अवधि में बोल्डर का सम्पूर्ण मात्रा के लिए लेबर चार्ज पर व्यय दिखाकर भुगतान किया गया। इसमें कुल रू० 4,29,480.56 राशि का अधिकाई एवं अनियमित भुगतान हुआ। सहायक अभियंता के नाते इनकी जिम्मेवारी थी कि लेबर चार्ज के रूप में अधिकाई / अनियमित भुगतान के विपत्र को जाँचोपरान्त सुधार करवाकर भुगतान हेतु विपत्र प्रतिहस्ताक्षर करते परन्तु इनके द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई फलतः ढुलकी जलाशय योजनान्तर्गत बोल्डर रीप–रैप पिचिंग में लेबर चार्ज के रूप में रू० 4,29,480.56 राशि का अधिकाई / अनियमित भुगतान में श्री तिवारी भी संलिप्त रहे हैं तथा इनका कृत्य असंतोषजनक सेवा का परिचायक है।

P.T.O

अतएव, उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री निर्मल कुमार तिवारी, सेवानिवृत सहायक अभियंता के पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकार करते हुए विभागीय पत्रांक– 6014 दिनांक– 02.12.2021 द्वारा अधिरोपित दण्ड यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

7. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

8. एतद द्वारा सरकार के इस निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(अशोक कुमार साह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3422 राँची/दिनांक 27/06/22

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (ले० एवं हक०) झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची /श्री निर्मल कुमार तिवारी, सेवानिवृत सहायक अभियंता, पता– ग्राम– बैजनाथपुर, पो०–केसठ, जिला– बक्सर (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार साह)
सरकार के संयुक्त सचिव